27.6.18

पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेशी तारीख पर ली गई। चूंकि मूल वाद जरिये राजीनामा विड्रो किया जा चुका है। अब इस आवेदन में आगामी कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः इस आवेदन में आगामी कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश सं 183/16 दि 18.5.16 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन